

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।  
पत्रांक 826 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-23-9-2019.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय:- जपनद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या 8-07 / 2019-एफ0सी0 दिनांक-28.08.2019 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या-272/11-सी/FP/UP/IND/2016 दिनांक-04.09.2019 तथा तथा आपका पत्रांक-सा0 1325/मी0क्षे0/33 दिनांक -17.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मांगी गयी बिन्दुवार सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या 826 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ0न0 8-07/2019 -एफ0सी0 दिनांक-28.08.2019 में उल्लिखित विन्दु-

आख्या / सूचना

<p>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ0न0 8-07/2019 -एफ0सी0 दिनांक-28.08.2019 में उल्लिखित विन्दु</p>	
<p>1. The State Govt. should give details on what action has been taken against unauthorized use of forest land.</p>	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1954 में युक्त व जाला सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी।</li> <li>जनपद-सोनभद्र (जो पूर्व में मिर्जापुर जिले का भाग था) के आंबरा वन प्रभाग के ग्राम-कोटा (जाला) में राज्य सरकार द्वारा सीमेंट फैक्टरी की स्थापना की गई थी, जिस वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया।</li> <li>जनपद-सोनभद्र (पूर्व में मिर्जापुर) के परगना-अगोरी में जमीन्दारी 1 जुलाई 1953 को टूटी और उस समय जो किसी की भूमिवासी थी तथा जो मौके पर खेती होती थी व आबादी को छोड़कर शेष भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई और चूंकि परगना-अगोरी में जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 117(1) की विज्ञप्ति नहीं हुई थी, इसलिए राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर 1953/16 नवम्बर 1953 द्वारा कैमूर पर्वत के दक्षिण (जहाँ ग्राम-कोटा, पडरख व पनारी पडला हैं) में स्थित समस्त भूमि को प्रकथ के लिये वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया।</li> <li>उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1977-78 में ग्राम-कोटा, वर्ष 1969 में ग्राम-पनारी (आंबरा पनारी) तथा वर्ष 1970 में ग्राम-पडरख में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 की विज्ञप्ति हुई।</li> <li>वर्ष 1982 में वनवासी सेवा आश्रम के संस्थापक श्री प्रेम भाई नें मा0 उच्चतम न्यायालय में 1061/1982 में एक जनहित याचिका दाखिल किया, जिसमें मा0 न्यायालय ने दिनांक 20.11.1986 को कैमूर पर्वत माला के दक्षिण भूमि क्षेत्रों के भौमिक अधिकार एवं सर्वे सेटिलमेंट करने का आदेश पारित किया।</li> <li>मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में ग्राम-कोटा, पडरख, व पनारी की काफी भूमि सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय (अपर जिला जज) द्वारा भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी भारतीय वन अधिनियम की विज्ञप्ति को सही मानते हुये, सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णित की गई। जिसके आधार पर तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा सुरक्षित वन के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की कार्यवाही चल रही थी।</li> <li>उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन जाला की फैक्ट्री के लगतार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित कर उसे दिनांक-08.12.99 को Wound Up कर लिक्विडेशन के अधीन कर दिया गया तथा आकिसियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया।</li> <li>उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन जाला की फैक्ट्री के Wound Up होकर उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए कम्पनी कोर्ट लिक्विडेशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई।</li> </ul>

- उ0प्र0शा0सीमेन्ट कारपोरेशन के परिणामपत्र के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान उल्लेखित राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन की परिणामपत्रियों के केता को दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में उल्लेखित राज्य शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग-1, द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0-3623/77-1-2008-15 (बी.आई.एफ.आर.)/92 दिनांक-10.10.2006 को मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्ताव 9, जो कम्पनी के पक्ष में लाइमस्टोन के पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में था, उसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाले लीज के क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न तथ्य अंकित किये गये थे :-  
 "यह उल्लेखनीय है कि यदि भूमि वन में अवस्थित है, उसके केता को नवीनीकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव आने पर सक्षम स्तरों से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर वांछित शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यदि भूमि संव्यवस्था में अवस्थित है उसके गैरव्यवहारी कार्यों के प्रयोग हेतु अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर दी जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जो हिस्से वन भूमि में पड़ते हैं कि उनको नवीनीकरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति से तथा वांछित शुल्क के मुगलान के पश्चात ही सम्भव है। अतः यथा समय अधिनियम के तहत एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी। यह उल्लेख भी समावीन है कि राज्य सरकार की ओर से पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय छूट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकरण में मू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं तत्पश्चात कुछ प्रकरणों में वनविभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0राज्य सीमेन्ट निगम लि0 (परिसमापनाधीन) की इकाईयों के विकय से सम्बन्धित अनुतोष एवं रियायतों में आच्छादित भूमि में से जो भूमि वन में अवस्थित है उनके केता फर्म के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में देय राशि के मुगलान के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।"

- उल्लेखित प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट ने दिनांक-11-10-06/12-10-06 को जे0पी0 ऐशोसिएट्स के पक्ष में विकय की पुष्टि कर दिया। मा0 उच्च न्यायालय में उल्लेखित प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-1, द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ज्ञापन सं-3623/77-1-2008-15 (बी.आई.एफ.आर.)/92 दिनांक-10.10.2006 पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक-11-10-06 के परिपेक्ष्य में जे0पी0 ऐशोसिएट्स को लीज के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये था, जिसे नये सिरे से लीज हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र मानकर उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा टी0एन0 गोडवर्धन बनाम भारत सरकार की याचिका में पारित निर्णय दिनांक-12-12-96 के अनुसार कार्यवाही की जाती किन्तु जे0पी0 ऐशोसिएट्स द्वारा लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र न देकर उ0प्र0शा0 सीमेन्ट कारपोरेशन की लीज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली व मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे की कार्यवाही में ग्राम-कोटा, पडरख व पनारी, मारकुण्डी व मकरीवारी की कुल 1083.203 हे0 सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णीत भूमि को वन संरक्षण अधिनियम की Applicability को समाप्त करने तथा लीज लेने में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी

जाने वाली आवश्यक देयताओं को बचाने के उद्देश्य से सुरक्षित वन के प्रस्ताव से पृथक कराने के सम्बन्ध में मे० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० द्वारा वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनमद्र के न्यायालय में ग्राम-कोटा में वाद संख्या 180/353/2007 द्वारा 27.854 हे०, वाद संख्या 181/354/2007 द्वारा 210.056 हे०, वाद संख्या 386/388/2007 द्वारा 18.272 हे०, ग्राम कोटा पडरख में वाद संख्या 395/397/2007 द्वारा 221.955 हे० व 51.064 हे०, ग्राम पनारी में वाद संख्या 386/398/2007 द्वारा 70.012 हे०, ग्राम-मारकुण्डी में वाद संख्या 398/400/2007 द्वारा 253.176 हे० तथा ग्राम-मकरीबारी में वाद संख्या 399/401/2007 द्वारा 230.844 हे० अर्थात् कुल 1083.203 हे० क्षेत्र पर वर्ष 2007 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 9/11 के तहत वन भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर दिया गया। कुल 1083.203 हे० क्षेत्र में से आंबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा, आंबरा पनारी व पडरख में कुल 599.183 हे०, सोनमद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में कुल 230.844 हे० तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग भीरजापुर के ग्राम-मारकुण्डी में कुल 253.176 हे० क्षेत्र सम्मिलित है।

- मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-20.11.1986 के क्रम में उपरोक्त कुल 1083.203 हे० क्षेत्र में से सोनमद्र वन प्रभाग के ग्राम-मकरीबारी का 230.844 हे० छोड़कर शेष क्षेत्र के सम्बन्ध में वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनमद्र द्वारा पूर्व में (वर्ष 1993-94 व वर्ष 1998-99) ही वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी।
- परन्तु जे०पी० एसोसिएट्स लि० की तरफ से जनवरी 2007 में कुल 1083.203 हे० क्षेत्र के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से मा० एफ०एस०ओ० न्यायालय में धारा-9/11 के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त वादों में वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनमद्र द्वारा प्रश्नात क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञापित से पृथक करने का आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया था।
- वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनमद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 180/353 व 181/354 में परित निर्णय दिनांक-19.09.2007 तथा मा० जिला जज सोनमद्र द्वारा सिविल मिसलिनियस अपील संख्या 61/2007 व 63/2007 जे०पी० एसोसिएट्स लि० बनाम वन विभाग में पारित निर्णय दिनांक-07.01.2008 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया गया।
- उ०प्र० शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-3792/14-2-2008 दिनांक-12.09.2008 से जिला शासकीय अधिवक्ता व न्याय विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में मा० उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के अनुमति नहीं दी गयी तथा जनपद-सोनमद्र में धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञापित जारी किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- उ०प्र० शासन के उक्त निर्देश के क्रम में वर्ष 2008 में जे०पी० एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा-4 की विज्ञापित से पृथक किये गये क्षेत्रों को छोड़कर विज्ञापित संख्या-4952/14-2-2008-20(17)/2008 दिनांक-25.11.2008 से ग्राम-कोटा तथा विज्ञापित संख्या-4953/14-2-2008-20(17)/2008 दिनांक-25.11.2008 से ग्राम-आंबरा पनारी तथा विज्ञापित संख्या-4951/14-2-2008-20(16)/2008 दिनांक-25.11.2008 से ग्राम मकरीबारी का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञापित जारी किया गया।
- जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अनाधिकृत रूप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में करिपय व्यक्ति द्वारा सी०ई०सी० में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी०ई०सी० द्वारा सम्बन्धित पक्षों से रिपोर्ट/आख्या मांगी गयी। पक्षों द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करने के उपरान्त सी०ई०सी० द्वारा अपनी सस्तुति मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए, उ०प्र० शासन द्वारा मा० उच्चतम

न्यायालय में रिट संख्या-2469/2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 1166/2015 में दिनांक-04.05.2016 को जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183हे0 है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-04.05.2016 के अनुपालन में ग्राम-कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में पूर्व में जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्प्रभावी मानते हुये कुल 1083.203हे0 क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या-1142/14-2-2016-20(4) /2016 दिनांक -23.06.2016 द्वारा कुल 12440.413हे0, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञप्ति संख्या-1141/14-2-2016-20(3) /2016 दिनांक- 10.06.2016 द्वारा कुल 1912.751हे0, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या-1139/14-2-2016- 20(1)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 398.5570हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागी मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या-1192/14-2-2016- 20 (5)/ 2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 904.768हे0 क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया।
- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-30.05.2016 के अनुपाल में मे0 जे0पी0एसोसिएट्स लि0, डाला द्वारा जे0पी0 सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है।
- यह भी अवगत कराना है कि MOEF & CC के GO नं0 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 में वर्णित तथ्य-“Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed – regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980”.
- उक्त गाइड लाईन में FCA 1980 के उल्लंघन निम्न प्रकार वर्णित किया है- “3. Accordingly, the Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provision of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules:  
E. In cases where ‘Forest land’ has been changed to ‘non forest land’ in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed.”

II. What action has been taken against erring officers who have issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in

वर्ष 2008 में मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 के क्लेम के अधार पर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा अपने न्यायालय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया था, प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया तथा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश

Gross violations of Forest (Conservation) Act, 1980.	दिनांक-30.05.2016 के अनुपालन में मं० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग करने हेतु प्रभाग स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं।
III. Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?	विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-04.05.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया जा चुका है। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-30.05.2016 के अनुपालन में मं० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
IV. It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.	इस विन्दु की सूचना उपलब्ध करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-740/ओबरा/15 मू०ह० दिनांक-16.09.2019 द्वारा मं० जय प्रकाश एसोसिएट्स लि०, से अनुरोध किया गया, मं० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० द्वारा अपने पत्र दिनांक-18.09.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।